



प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 17.10.2025

- ❖ थाना रनियां पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए अवैध आतिशबाजी/ पटाखा भण्डारण करना वाला 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।
- ❖ अभियुक्त के कब्जे से कुल 49.9 कि०ग्रा० अवैध आतिशबाजी/पटाखे बरामद किये गये ।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में अवैध रूप से पटाखों के भण्डारण एवं विक्रय पर प्रभावी रोक लगाने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदया कानपुर देहात श्रद्धा नरेन्द्र पाण्डेय के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में आज दिनांक 17.10.2025 को थाना रनियां पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर अभियुक्त मान सिंह पुत्र स्व० मोहन सिंह निवासी आर्यनगर प्रथम थाना रनिया जनपद कानपुर देहात की जनरल स्टोर की दुकान पर मय फोर्स के दबिस दी गयी तो अभियुक्त मान सिंह पुत्र स्व० मोहन सिंह उपरोक्त की दुकान से 49.9 कि०ग्रा० आतिशबाजी/ पटाखे (बारूद) बरामद हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना रनियां पर मु०अ०सं०- 38/2025 धारा 5/9ख विस्फोटक अधिनियम 1884 बनाम मान सिंह, उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

मान सिंह पुत्र स्व० मोहन सिंह निवासी आर्यनगर प्रथम थाना रनिया जनपद कानपुर देहात

बरामदगी का विवरण-

49.9 कि०ग्रा० आतिशबाजी/ पटाखे

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना रनियां पुलिस